

# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

## श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म०प्र०)

कार्यालय दूरभाष नं.— 07662-241655

ई-मेल— ssmc-rewa@mp.gov.in

फैक्स नं.— 07662-251167

वेबसाइट—www.ssmcrewa.com

क्रमांक ..... / स्था / अराज / एमसी / 2022

रीवा, दिनांक .....

### आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2021/10286, भोपाल, दिनांक 29.06.2021 द्वारा वर्ष 2021-22 में स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में स्टाफ नर्स संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 09.08.2021 से 13.08.2021 तक आयोजित साक्षात्कार उपरांत प्रतीक्षार्त् उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2022/14463, भोपाल, दिनांक 21.03.2022 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं अनुमोदन उपरांत संविदा स्टाफ नर्स के पद पर निश्चित मानदेय रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र) प्रतिमाह पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए इकाई में संविदा आधार पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

S.No.	Name of Candidates	Father/ Husband Name	Address	Cat.	Selected Cat.	Selected For
1	Sadhna Shukla	D/O Ramayan Prasad Shukla	Vindhya hospital & Research Center, Rewa (M.P.), Pincode 486001	UR	UR	SNCU
2	Amita Tiwari	W/O Rajkumar Tiwari	19/326, Sanjay Nagar, Near Saman pump house, Rewa (M.P.), Pincode 486001	UR	UR	SNCU
3	Poonam Singh Chouhan	D/O Shiv Pratap Singh	Village Padkhuri- 586, Post pachokhar, Dist. Sidhi, (M.P.), Pincode 486670	UR	UR	SNCU
4	Lalita Sharma	W/O Sudhanshu Sharma	13/250, Nehru Nagar, Chandra manglam vivah ghar road, Rewa (M.P.), Pincode 486001	UR	UR	SNCU
5	Priti Pathak	D/O Krishn Kumar Pathak	H.No. 1370 Pachpedi, saraswati vihar, Jabalpur, (M.P.), Pincode 482007	UR	UR	SNCU
6	Madhu Singh Patel	W/O Diwakar Prasad Patel	Hanuman nagar, Rewa, (M.P.), Pincode 486001	UR	UR	PSU
7	Deepti Shukla	W/O Jayprakash Mishra	MQ-451, Amlori pariyojna, Dist. Singrouli, (M.P.), Pincode 486887	UR	UR	SMTU
8	Pramila Kumari Patel	D/O Beni Prasad Patel	Village Pipra, Post Devrihan gaon, Tehsil Naigadi, Dist. Rewa, (M.P.), Pincode 486340	OBC	OBC	SNCU
9	Jyoti Carpenter	W/O Vijay Narayan Vishwakarma	Central jail, Rajeev nagar, nai basti, ward no. 17, Rewa, (M.P.), Pincode 486001	OBC	OBC	SNCU
10	Yogita Patel	D/O Ramakant Patel	Village & Post Matima, Dist. Rewa (M.P.), Pincode 486441	OBC	OBC	SNCU

क्रमशः पेज...02



**संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-**

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के अनुरूप होंगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक दिनांक **31 मार्च 2022** तक के लिये होंगी।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
4. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियुक्ति नियत अवधि के पूर्व एक माह की नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकती है।
5. संविदा के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
6. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
7. **दिनांक 30.03.2022 तक** उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं समाप्त माना जावेगा।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
9. संविदा स्टाफ नर्स द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् स्वयं के व्यय पर अधोहस्ताक्षरी के साथ राशि 500/- के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
10. चयनित उम्मीदवार को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संविदा स्टाफ नर्स को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
12. संविदा स्टाफ नर्स को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
13. संविदा वेतन राशि का भुगतान एन.एच.एम. से बजट उपलब्ध होने के अधीन होगा, संविदा वेतन राशि के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. संविदा स्टाफ नर्स द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. संविदा स्टाफ नर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा, मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा स्टाफ नर्स द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।
17. उपस्थित प्रतिवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज असत्य पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
22/3/22

क्रमशः पेज...03

18. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।
19. संविदा स्टाफ नर्स बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहती है तो उसकी संविदा ऐसी अनुपस्थिति तारीख से स्वयं समाप्त मानी जाएगी।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 22/3/22

पृ0क्र...../स्था./अराज./एम.सी./2022,

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. 8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल।
6. कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारणी समिति, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
7. कलेक्टर, जिला रीवा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा।
9. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधितों के मानदेय का आहरण एन.एच.एम. मद से किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. विभागाध्यक्ष, सर्जरी/पीडियाट्रिक्स विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
11. नोडल अधिकारी, एन.एच.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
12. स्थानीय कार्यालय लेखा शाखा।
13. संबंधित की ओर पालनार्थ।

*Devesh*  
22/3/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)